

Order No:-246L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Rajendra Agrawal** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या.410 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (In Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	खुशी सिंह	श्री जितेन्द्र राणा Mob: 7017854100	4	डोगरा लाईन्स मेरठ
2	पूर्ति बाली	श्री गगन बाली Mob: 9897610788	6	पंजाब लाईन्स मेरठ
3	यशिका तोमर	श्री अमित तोमर Mob: 9897127977	8	पंजाब लाईन्स मेरठ
4	शिवांश लौहरे	श्री जोराबर सिंह Mob: 9837128887	3	डोगरा लाईन्स मेरठ
5	श्रेयांश धस्माना	श्री मुकेश धस्माना Mob: 9837294297	5	सिक्ख लाईन्स मेरठ
6	अर्पिता अग्रवाल	श्री विपुल अग्रवाल Mob: 8937813268	3	डोगरा लाईन्स मेरठ
7	अराध्या अग्रवाल	श्री गौरव अग्रवाल Mob: 9870975120	3	डोगरा लाईन्स मेरठ
8	जीवी शर्मा	श्री सुरेश कुमार शर्मा Mob: 9634693778	1	डोगरा लाईन्स मेरठ
9	वैष्णव त्यागी	श्री विजय कुमार त्यागी Mob: 9927278006	9	बाबूगढ़ छावनी
10	काव्या अग्रवाल	श्री सुधांशु अग्रवाल Mob: 9868322617	6	बाबूगढ़ छावनी

क. पू. क. पू.
15/07/21


निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

(iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Rajendra Agrawal माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **AGRA** संभाग को सूचनार्थ। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)